

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

श्रीमती इन्दुबाला

बनाम

सार्वजनिक निर्माण विभाग

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर

227/2022/344

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
------------	-----------------------------------

20/5/2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती इन्दुबाला w/o दामतराम पोखरना, श्रीमती पंगीता w/o कमल जी कोहरा, श्रीमती अगेश्वरी w/o दुदीप्रकुमार रेकचन्दाजी ~~श्रीमती~~ श्रीमती ओनिका w/o ललित जी पोखरना w/o शास्त्रीनग चित्तौड़गढ़

निवासी- चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम पुरोहितों का सावंत

स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 80 रकबा 0.2000

95 मी. रकबा 0.3300 कीला 2 रकबा 0.53, 96 मी. रकबा 0.3400

कुल कीता 3 कुल रकबा 0.8700 है 0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम पुरोहितों का सावंत स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 80 रकबा 0.2000 95 मी रकबा 0.3300 कीला 2 रकबा 0.5300, 96 मी. रकबा 0.3400

कुल कीता 3 रकबा 0.8700 है 0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 10.00.00 रुपये अक्षर एक हजार रुपये प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)